# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 4759/2022**

अनुराग यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. डॉ0 विजयपाल, तहसीलदार अधीन कार्यव्यवस्थार्थ, माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 16.09.2022
**आदेश की दिनांक** : 18.11.2022

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनु भार्गव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**मातादीन शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर आमेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी ने तहसीलदार आमेर, जयपुर का दिनांक 21.02.2022 को मध्यान् पश्चात् कार्यभार संभाल लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.07.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार आमेर, जयपुर से कार्यव्यवस्थार्थ सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक बिना प्रशासनिक आवश्यकता के रिक्त पद पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक स्थानान्तरणाधीन से संशोधित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रिक्त पद पर पांच माह की अल्पावधि में बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार माधोराजपुरा, जयपुर से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार आमेर, जयपुर किया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। किसी भी कार्यव्यवस्थार्थ कार्मिक का पदस्थापन उच्च पद पर कार्यव्यवस्थार्थ नहीं किया जा सकता तथा प्रत्यर्थी विभाग ने कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.09.2014 (अनुलग्नक–4) का उल्लंघन कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.07.2022 को चुनौती देते हुए अपील संख्या 2719/2022 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.08.2022 द्वारा अपील खारिज की गई थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13201/2022 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 15.09.2022 द्वारा अपील वापस लिये जाने की स्वीकृति तथा माननीय अधिकरण में अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई तथा अधिकरण को निर्देश दिए कि अपील का निस्तारण करे (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पांच माह की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ॰ संजय प्रभुने बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को तहसीलदार, आमेर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त परिलाभ दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 20.02.2022 द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित किये जाने के उपयुक्त पाये जाने के कारण अपीलार्थी का पदस्थापन कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार आमेर, जयपुर के पद पर किया गया है। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 28.07.2022 द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार आमेर जयपुर का स्थानान्तरण सहायक भू–प्रबंध अधिकारी टोंक के पद पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.08.2022 विधि सम्मत आदेश है जो कि प्रशासनिक कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर कितनी अवधि तक ले। अपीलार्थी का यह कथन पूर्णतः निराधार है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 को समायोजित करने के उद्देश्य से उसको स्थानान्तरित किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2021 के क्रम में ऐसे नायब तहसीलदार जिनकी परिवीक्षावधि पूर्ण होकर 02 वर्ष की सेवा अवधि हो गई है को वरिष्ठता के आधार पर कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला में राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 05.01.2022 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने के आदेश जारी किये गये। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक स्थानान्तरणाधीन से संशोधित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार माधोराजपुरा, जयपुर से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार आमेर, जयपुर किया गया। उक्त आदेश पूर्णरूप से प्रशासनिक आधार एवं जनहित में जारी किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने उक्त आदेश की पालना में आदेश दिनांक 22.08.2022 (अनुलग्नक आर–4/1) द्वारा तहसीलदार के पद पर आमेर में कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किया गया है तथा दूसरा मुख्य आधार यह लिया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के लिए जारी किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आदेश दिनांक 17.08.2022 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ नहीं किया गया है अपितु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी का यह कहना नितान्त असत्य एवं गलत है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या–4 को अकोमोडेट करने के लिए किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पूर्व में ही आदेश दिनांक 28.07.2022 के द्वारा टोंक कर दिया गया था तथा आमेर में पद रिक्त था। प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर में रिक्त पद पर किया गया है। अगर उक्त आदेश का अवलोकन किया जाए तो अपीलार्थी को स्वयं को अकोमोडेट किया गया है। अपीलार्थी का पूर्व में तहसील आमेर से एएसओ, टोंक स्थानान्तरण किया गया था। आदेश दिनांक 17.8.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण संशोधन कर पुनः जयपुर जिले में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पदस्थापन किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र व्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। इसके पूर्व अपीलार्थी का आदेश दिनांक 28.07.2022 (अनुलग्नक–2) से सहायक भू–प्रबंध अधिकारी टोंक के पद पर किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपील संख्या 2719/2022 में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.08.2022 से अपील खारिज की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) से अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक के पद पर स्थानान्तरणाधीन को संशोधित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में रिक्त पद पर किया गया है। इस प्रकार से नवीन पदस्थापन अपीलार्थी के लिए

पूर्व पदस्थापन से ज्यादा सुविधाजनक है एवं अपीलार्थी के हितो के विपरीत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

आलोच्य आदेश प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति विद्यमान नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रशासनिक अधिकारी है तथा प्रशासनिक आवश्यकता (Administrative Exigency) के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जा सकता है। आलोच्य आदेश प्रशासनिक आधार पर ही जारी किया गया है तथा अपीलार्थी के लिए पूर्व पदस्थापन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी टोंक से ज्यादा सुविधाजनक है तथा अपीलार्थी के हितो के विपरीत नहीं है। आलोच्य आदेश में विधिक रूप से कोई त्रुटि की विद्यमानता की स्थिति नहीं है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण इसी प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक .....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

**(मातादीन शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**